मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :— स्वाति गुप्ताआर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 490/2022

1. हनुमान पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. जीतराम पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— — वादीगण

बनाम

1. हेतराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. रोशनी देवी पुत्री हेतराम पत्नी रोहिताश जाति जाट निवासी बशीर हाल आबाद किशनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

डिक्री

दिनांक :—03.09.2024

वादीगण की ओर से श्री परमजीत सिंह अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री विजय कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.09.2024 को स्वाति गुप्ताआर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि चक नम्बर 10 एफ.टी.पी. के वर्तमान संयुक्त खाता संख्या 180/183 में अंकित कुल भूमि 10.790 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 हेतराम के 1/2 हिस्सा भूमि के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 10 एफ.टी.पी. के खाता संख्या 180/183 में से हेतराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना—अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 03.09.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
टिब्बी